**पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| लघु अवधि ऋण हेतु आवेदन प्रारूप | | |
| 1. | आवेदक का नाम व पता (संपर्क व्यक्ति का नाम, दूरभाष, फैक्स नंबर, ई-मेल के साथ ) |  |
| 2. | लघु अवधि ऋण की आवेदित राशि |  |
| 3. | राशि सहित लघु अवधि ऋण आवश्यकता का उद्देश्य   * विद्युत प्लांट हेतु ईंधन की खरीद * उपभोज्य वस्तुएं, आवश्यक पुरजे की खरीद * आर एंड एम के स्वरूप में प्लांट उत्पन्न करने और टी डी नेटवर्क हेतु आपातकालीन प्रोक्योरमेंट/कार्य * विद्युत की खरीद * प्राप्य राशि हेतु |  |
| 4. | एफआई(यों)/बैंकों, उपलब्ध लाइन ऑफ क्रेडिट से प्राप्त निधियां | अनुलग्नक-1 |
| 5. | प्रस्तावित एसटीएल हेतु प्रदत्त प्रतिभूतियां:   1. एस्क्रो 2. सरकारी गारंटी 3. परिसंपत्तियों पर चार्ज |  |
| 6. | क्या पीएफसी को चार्ज के लिए प्रदत्त परिसंपत्तियां अन्य ऋणदाता से भी ली गई हैं (लागू , जहां परिसंपत्तियां जार्च के लिए प्रदान की जाती हैं ) |  |
| 7. | क्या आवेदक बैंक/अन्य एफ सी(यों) के प्रति चालू डिफॉल्ट में हैं। |  |
| 8. | क्या इस योजना के अंतर्गत वित्त पोषित होने वाले मद पहले से ही अन्य एफआई(यों)और बैंकों द्वारा अन्य योजना के अंतर्गत वित्तपोषित हो गए हैं? |  |
| 9. | क्या अधिगृहित सामग्री/उपकरण/मशीन पुरानी (सेकेंड हैंड) है? |  |
| 10. | ब्याज दर विकल्प (90 दिन रीसेट/मियादी ) |  |
| 11. | अवधि- 1 वर्ष से अधिक अवधि   * ईएमआई * बुलेट |  |
| 12. | डिस्कॉम की स्थिति में, निम्न की स्थिति:  1. पिछले वर्ष की टैरिफ याचिका का आदेश  2. पिछले पूर्ण वर्ष की आउटस्टेंडिंग अनुदान का भुगतान, यदि कोई है। इसके अतिरिक्त वर्तमान वर्ष के लिए बज़टेड अनुदान का 50% वर्तमान वर्ष के एच 1 के अंत तक लिया जाएगा  3. उपयुक्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 18 महीनों तक लेखा परीक्षित लेखों या शुंगलू समिति द्वारा निश्चित वित्तीय विवरण जमा करना।  4. अगले वर्ष की टैरिफ याचिका चालू वर्ष के 30 नवंबर तक दर्ज करना।  अतिरिक्त शर्तों की अनुपालन स्थिति, आवेदन की तारीख के अनुसार | अनुलग्नक-2 का संदर्भ लें |

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि उपर्युक्त दी गई सूचना मेरे ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है।

स्थानः

दिनांकः हस्ताक्षर

**पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

**बैंक/एफआई(यों)से उपलब्ध वर्किंग पूंजी और लघु अवधि ऋण का विवरण . . . . . से**

(करोड़ रू. में)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **बैंक/एफआई(यों)** | **स्वीकृत राशि** | **अब तक संवितरण** | **शेष ओ/एस** | **ब्याज दर** | **प्रतिशत प्रदत्त** | **ओवर ड्यूज** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **कुल** |  |  |  |  |  |  |

**आवेदक द्वारा प्राप्त अवधि ऋण का वितरण**

(करोड़ रू. में)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **बैंक/एफआई(यों)** | **स्वीकृत राशि** | **अब तक संवितरण** | **शेष ओ/एस** | **ब्याज दर** | **प्रतिशत प्रदत्त** | **ओवर ड्यूज** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **कुल** |  |  |  |  |  |  |

**अनुलग्नक-2**

**डिस्कॉमों को लागू अतिरिक्त शर्तों की अनुपालन स्थिति**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| क्र.सं. | शर्तें | अनुपालन स्थिति |
| 1. | ईंधन अधिशुल्क स्वचलित हो या पिछली तिमाही की तुरंत पूर्ववर्ती तिमाही के लिए ईंधन लागत समायोजन के बराबर राशि हेतु राज्य सरकार अनुदान का भुगतान करेगी। |  |
| 2. | पिछली तिमाही की तुरंत पूर्ववर्ती तिमाही के लिए सरकारी विभागों द्वारा हुई विद्युत की खपत के लिए बकाया राशि की क्लीयरेंस |  |
| 3. | तिमाहियों के ब्रेक-अप के साथ मार्च, 2013 तक अनुदान के शेष पूर्ण कराने की योजना |  |
| 4. | टैरिफ ऑर्डर में कोई राजस्व अंतर नहीं होना चाहिए और नियामक परिसंपत्तियां नियमित प्रक्रिया के रूप में सृजित नहीं की जाएंगी, जब तक यह तर्कसंगत और टैरिफ नीति और नियमों के अनुसार नहीं होती। विशिष्ट परिस्थितियों के लिए, जब नियामक परिसंपत्तियां निर्मित होती हैं, नियामक परिसंपत्तियों के निर्माण के एक वर्ष के भीतर वसूली शुरू हो जानी चाहिए और 6 वर्ष के भीतर पूर्ण रूप से वसूली हो जानी चाहिए और रखाव लागत प्रदान करना होगा। |  |
| 5. | संचयी हानि को दूर करने के लिए 12वीं योजना के अंत तक 2 वर्ष के भीतर उत्पन्न होने वाली बचत नकदी के साथ योजना देना । |  |
| 6. | संबंधी एसईआर सी(यों) द्वारा आदर्श टैरिफ नियमों को अपनाना। |  |
| 7. | राज्य सरकार डिस्कॉम को अपने ऋणों को इक्विटी में इक्विवटी इंफयूजन और विद्युत संस्थाओं के निवल संपत्ति में सुधार के लिए बदलें- 6 माह के भीतर योजना प्रदान करें। |  |
| 8. | राज्य प्रतिभूतिरहित उत्पन्न क्षमता अंतराल की तुलना में उनके राज्यों में 12वीं योजना की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तुरंत बोली का आमंत्रण दें। |  |